विधान परिषद के तृतीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
12–(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा व अन्य सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति दी जाती हैं?	जी हां। समाज कल्याण विभाग एवं जनजाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रू0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले माता–पिता/अभिभावक के पात्र एवं नियमावली के अनुसार सही डाटा वाले छात्रों को पूर्वदशम् (कक्षा 9–10) में छात्रवृत्ति की धनराशि तथा कक्षा 11–12 व उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र एवं नियमावली के अनुसार सही डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि प्रदान की जाती है। कक्षा–1 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित नहीं है जबकि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ख) यदि हॉ, तो शिक्षा सत्र 2022–2023 के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है एवं क्या आवंटित की गई धनराशि आवश्यकता से कम होने के कारण अभी काफी छात्रों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति लम्बित है?	अनुसूचित जाति पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (40% राज्यांश/60% केन्द्रांश) एवं अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (25% राज्यांश/75% केन्द्रांश) आवंटित धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

योजना	अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)	अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु प्राविधानित धनराशि (रू0 लाख में)
पूर्वदशम छात्रवृत्ति	200.00	20500.00
दशमोत्तर छात्रवृत्ति	4000.00	88000.00

उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि समुचित है।

प्रश्न	उत्तर
(ग) यदि हॉ, तो शेष धनराशि का आवंटन कब तक करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्व0प्र0)।